

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर
। (SDO) बायतु..... मुकाम.....

..... गोठारावा वगैरा..... बनाम..... हनुमतराम वगैरा.....

किस्म मुकदमा..... राजस्थान 111, 128 R.R. नं. 305/2020 सन् 2020.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/10/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री त्रपत शाह.....</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128.....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पॉडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03/11/2020 को पेश हो।</p>	
03/11/2020	<p>प्रार्थी वकील उपालिखत/विप्रार्थी.....</p> <p>उपरोक्त के नोटिस तामिल हुक्म तामिल हुक्म/समान पीठापीन अधिकारी डिग्री कार्यों में व्यत्यय होने से मिशाल इल्लवा टोडर आगामी दिनांक 25/11/2020 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>
25/11/2020	<p>प्रार्थी वकील उपालिखत/विप्रार्थी.....</p> <p>उपरोक्त के नोटिस तामिल हुक्म तामिल हुक्म/समान पीठापीन अधिकारी डिग्री कार्यों में व्यत्यय होने से मिशाल इल्लवा टोडर आगामी दिनांक 09/02/2021 को पेश हो।</p>	

09/02/2022

प्राथमिकी के अन्तर्गत प्रत्येक कान उपस्थित
वीजासीन अर्थात् प्रार्थी को उपस्थित है
अतः पत्रावली, 27/04/2022 दिनांक

- श्री पेशा सी/2

राजस्थान
न्यायालय उपखण्ड

क्रमांक नंदा/2022/403
प्राथमिकी

महाराजपुर कानून
जाति जाट

13/04/2022

प्राथी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के ने.वि.न
जरिमे रजिस्ट्रार एडो मिजवाफे गार्मे रजिस्ट्रार डिप्टी
रजिस्ट्रार प्राथी वकील द्वारा पेश की गई विप्रार्थीगण
बावजुद सूचना अनुसूचित/ न्यायालय समुदाय
बाद कावाज कागदें गई मॉन्टिंग कावाज 5:45 PM
पर कागदें गई विप्रार्थीगण एवम प्रा उनही मोर ले
इस अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ किये विप्रार्थीगणों
के विरुद्ध एडवरका कार्यवाही समल के लिये जाली हो
अतः पालना पत्रावली दिनांक-27/04/2022 के पत्रावली

27/04/2022

प्राथी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल
अनुपस्थित/ प्राथी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के
अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के
खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्राथी एवं विप्रार्थीगणों
के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो
वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्राथी
एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा
विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी
आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार
किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

सहायक
(300) नयतु

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी का
नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को
कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्राथी के
खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क
जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो,
दाखिल दफ्तर हो।

नयतु
(300) नयतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 463
प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 27/04/2022
विप्रार्थीगण

1. मोटाराम पुत्र रूपाराम वगैरा 04,
जाति जाट, निवासी सांइयों की ढाणी,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

1. हनुमानराम पुत्र ठाकराराम वगैरा 08,
जाति जाट, निवासी सांइयों की ढाणी,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिड़ा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 305 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - सांइयों की ढाणी, पटवार मण्डल - रतेऊ, तहसील - गिड़ा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 346, 350, 351, 975/352, 977/352 रकबा क्रमशः 57.12, 0.05, 0.03, 104.06, 12 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संतुष्टि थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 464-68

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का रतेऊ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोटाराम पुत्र रूपाराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री हनुमानराम पुत्र ठाकराराम वगैरा 08,
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/04/2022

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
राजस्थान सरकार
(SPO) बायतु